मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व मंत्रिपरिषद् के सहयोगियों एवं विधायकों ने शनिवार (एकादशी) को प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी घाट संगम में स्नान किया।

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, सांसदों व विधायकों के साथ संगम में डुबकी लगाई

प्रयागराज एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल तथा उनके सहयोगियों का भावपूर्ण स्वागत हुआ

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और देश व प्रदेश की खुशहाली व समृद्धि की कामना की।
- राजस्थान के मंत्री व विधायक मुख्यमंत्री के साथ राजस्थान मंडप भी गए। राज्य सरकार ने राजस्थान से महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राजस्थान मंडप में निःशुल्क आवास, भोजन व चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई हैं।

प्रयागराज/जयपुर, 8 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महाकुंभ-2025 के अवसर पर शनिवार (एकादशी) को मंत्रिपरिषद् के सहयोगियों एवं विधायकों के साथ प्रयागराज पहुंचे। उनके आगमन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं आमजनों ने प्रयागराज एयरपोर्ट पर स्वागत एवं अभिनंदन किया।

इसके बाद मुख्यमंत्री शर्मा, मंत्रिपरिषद् के सदस्य, सांसद व विधायक संगम स्थल पहुंचे, जहां से बोट द्वारा त्रिवेणी घाट पहुंच कर उन्होंने संगम में डुबकी लगाकर स्नान किया व जय श्री राम के उद्घोष के साथ पूजा अर्चना की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई और देश व प्रदेश की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। यह हमारी संस्कृति और संत, ऋषि व मुनियों की विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उनके नेतृत्व में विरासत का संरक्षण हो रहा है। विश्व का हर व्यक्ति महाकुंभ में आने के लिए लालायित हैं। शर्मा ने महाकुंभ की सुनियोजित व्यवस्थाओं के लिए केन्द्र सरकार व उत्तरप्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार विकास के पथ पर विरासत संरक्षण के ध्येय के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर महाकुंभ मेले में राजस्थान से जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजस्थान मंडप तैयार करवाकर निःशुल्क आवास, भोजन एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा सहित मंत्रिगण, सांसदगण, विधायकगण सहित गणमान्यजन उपस्थित रहें।

प्रयागराज में मंत्रिपरिषद : मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिये 101 करोड़ रूपए स्वीकृत

- मंत्रिपरिषद ने अंशकालीन पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर 7,500 रूपए प्रतिमाह किया।

प्रयागराज/ जयपुर, 8 फरवरी। महाकुम्भ में संगम स्थल पर स्नान के बाद प्रयागराज स्थित राजस्थान मंडपम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली प्रचण्ड एवं ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देते हुए बैठक में उनका आभार प्रकट किया गया। 144 वर्ष के अंतराल पर हो रहे महाकुंभ के दौरान आयोजित इस बैठक में देवस्थान विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए।

मंत्रिपरिषद की बैठक में देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के 390 मंदिरों एवं आत्म निर्भर श्रेणी के 203 मंदिरों में सेवा पूजा, भोग, प्रसाद, उत्सव, पोशाक, जल एवं प्रकाश, सुरक्षा संचालन व्यवस्था आदि के लिए भोगराशि को दोगुना करते हुए 3 हजार रुपए प्रति मंदिर प्रति माह किए जाने का निर्णय लिया गया। एक और महत्वपूर्ण फैसला करते हुए देवस्थान विभाग में प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्म निर्भर मंदिरों में कार्यरत अंशकालीन पुजारियों को दिए जा रहे मानदेय को 5 हजार रुपए से बढ़ा कर 7500 रुपए प्रतिमाह करने की स्वीकृति प्रदान की गई। देवस्थान विभाग के प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार के 6 मंदिरों तथा आत्म निर्भर श्रेणी के 26 मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं विकास कार्यों के लिये 101 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राज्य के बाहर स्थित देवस्थान विभाग के मंदिरों का सर्वे करवाते हुए इनकी वास्तविक संख्या पता कर इन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। जीर्ण-शीर्ण हो चुके ऐसे मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इन निर्णय की स्वीकृति भी मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदान की गई।

याचिकाकर्ता से कम अंक वाली अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक

- हाई कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास के सचिव व निदेशक तथा कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी किये।

जयपुर, 8 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला पर्यवेक्षक भर्ती-2024 में याचिकाकर्ता से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में महिला एवं बाल विभाग सचिव, निदेशक और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को नाटस जारा कर जवाब तलब ाकया ह। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश रेणु की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 13 फरवरी को महिला पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती निकाली थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन किया था। याचिकाकर्ता के भर्ती में अधिक अंक आने और उसके पास दस साल का अनुभव होने के बावजूद उसे नियुक्ति नहीं दी गई। जबकि याचिकाकर्ता से कम अंक वाले दूसरे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। ऐसे में उसे नियुक्ति से वंचित रखना गलत है। इसलिए याचिकाकर्ता को इस पद पर नियुक्ति प्रदान की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

भाजपा ने भारी अंतर से मिल्कीपुर सीट जीती

अयोध्या, 08 फरवरी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चन्द्रभानु पासवान ने करीब 61639 वोटों से जीत हासिल की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चन्द्रभानु पासवान ने मिल्कीपुर विधानसभा सुरक्षित सीट से करीब 145893 वोट प्राप्त किये हैं जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने 84254 वोट हासिल किया है। आजाद समाज पार्टी को 5439 वोट तथा अन्य को 6755 वोट मिले हैं। कुल टोटल वोट 242341 प्राप्त हुए हैं।

भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी कार्यालय में जश्न मनाते हुए भाजपा के नेताओं ने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत हुई है। अब मिल्कीपुर विधानसभा में विकास की गंगा बहेगी, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। कार्यालय में ढोल-नगाड़े बजने शुरू हो गये हैं और होली जैसा माहौल दिखायी पड़ रहा है।

भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पूर्व सांसद लल्लू सिंह सहित कई नेता कार्यालय में जश्न मनाने में व्यस्त हैं।

नाबालिग चचेरी बहन से दुष्कर्म करने वाले को बीस साल की सजा

- पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अभियुक्त पर 80 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।

जयपुर, 8 फरवरी। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने रिश्ते में चचेरी बहन लगने वाली नाबालिग पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने 22 वर्षीय इस अभियुक्त पर 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश श्योराण ने अदालत को बताया कि 3 सितंबर, 2023 को 17 वर्षीय पीड़िता ने गांधी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि वह नवंबर, 2020 में अपने भाई की शादी में गई थी। जहां उसकी ताई का लडका भी आया था। इस दौरान उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वह दवा लेकर सो गई थी। तभी अभियुक्त ने दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिए। इसके बाद साल 2021 में वह उसे आगरा घुमाने ले गया और वहां भी दुष्कर्म किया। वहां से आकर वह उसे मंदिर ले गया और शादी कर ली। इसके बाद कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद अभियुक्त की शादी हो गई। अभियुक्त ने इसके बाद भी समय-समय पर उसके साथ जबरन संबंध बनाए। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीडिता के परिवार ने उसके हिस्से की गांव की जमीन पर कब्जा कर रखा था। जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच विवाद था। इसके चलते उसे प्रकरण में फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

'जीएडी की अनुमति के बिना कोई दस्तावेज, कम्प्यूटर बाहर नहीं जायेगा'

नयी दिल्ली, 08 फरवरी। दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में पत्रावलियों, दस्तावेजों, कंप्यूटर और संबंधित उपकरणों को कार्यालय से बाहर ले जाने पर शनिवार को प्रतिबंध लगा दिया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह आदेश सचिवालय के कार्यालयों और मंत्रियों के कैंप आफिस तथा कैंप आफिस के प्रभारियों के कार्यालय पर भी लागू होंगे।

दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के संयुक्त सचिव प्रदीप तायल के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है, दस्तावेजों की सुरक्षा की चिंता को

- मतगणना के बीच दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों पर इस रोक के आदेश जारी हुए।

देखते हुए यह आवश्यकता है कि दिल्ली सचिवालय परिसर से जीएडी की अनुमति के बगैर कोई पत्रावली/दसतावेज, कंप्यूटर हार्डवेयर इत्यादि को बाहर न ले जाया जाए।

पत्र में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी इस आदेश के अनुपालन के संबंध में सभी शाखा कार्यालय प्रभारियों, विभागों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

गौरतलब है कि 70 सदस्यीय विधानसभा की मतगणना में दिल्ली में सत्ता परिवर्तन की संभावना दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुत मिलने के आसार हैं।

ममता बनर्जी को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नए नेतृत्व के तहत फिर से संगठित होना होगा, या फिर विलुप्ति का सामना करना होगा।

इस स्थिति में, ममता बनर्जी के पास राष्ट्रीय विपक्ष का एक प्रमुख केन्द्र बनने का अवसर होगा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वे केवल पश्चिम बंगाल तक ही सीमित हैं और राज्य के बाहर एक भी सीट नहीं जीत पाई हैं। वे त्रिपुरा में भी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही हैं, जिसे बंगाल का हिस्सा माना जाता है।

लेकिन यह भी संदेह बना हुआ है कि ममता बनर्जी भाजपा की मेहरबानी से जीवित हैं, क्योंकि केन्द्रीय जांच एजेंसियों के पास उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं, जो उन्हें गिरा सकते हैं। उनकी कमजोर कड़ी उनका भतीजा, अभिषेक बनर्जी है, जो बड़े घोटालों में शामिल होने के कारण निशाने पर है। यहीं पर मुद्दा फंसा हुआ है। दिल्ली चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि घोटालों और बड़े पैमाने पर अनियमितताओं में शामिल लोगों को वोटर कड़ी सजा दे सकते हैं। और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कई घोटाले हैं। तथापि, राज्य में भाजपा इन घोटालों का सही तरीके से फायदा नहीं उठा पाई।

पिछली बार चुनावों में हारने के बाद, भाजपा अब बंगाल में दिल्ली की जीत को इस तरह मना रही है, जैसे वो बंगाल में जीती हो। पार्टी कार्यकर्ता राज्य भर के जिलों में केसरिया "अबीर" से जीत का जश्न मना रहे हैं।

भाजपा उत्साहित है कि अगर पार्टी 27 साल बाद दिल्ली में वापसी कर सकती है, तो वह बंगाल में भी अपनी किस्मत बदल सकती है और अगले राज्य विधानसभा चुनाव में सत्ता में आ सकती है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी भी अगली बार ममता बनर्जी को उनकी अपराजेय स्थिति से उखाड़ फेंकने की बात कर रही है। तथापि, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कभी बंगाल में स्वतंत्र चुनाव होंगे। तृणमूल कांग्रेस ने प्रशासन और विशेष रुप से बंगाल में पुलिस पर पूरा संस्थागत कब्जा कर लिया है। परिणाम यह हुआ है कि पुलिस सक्रिय रुप से तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोगों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने से रोकती है और टी.एम.सी. कार्यकर्ताओं को उनकी जगह मतदान करने देती है।

भाजपा की जोरदार खुशियों और अन्य विपक्षी दलों द्वारा दिल्ली में भाजपा की जीत के स्वागत ने ममता को चुप कर दिया है। उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उनकी पार्टी के प्रवक्ता केवल यही कह रहे हैं कि दिल्ली की जीत बंगाल से अलग है।

चुनाव प्रचार के बीच में केजरीवाल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मिली है, जो हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी की जीत के बाद बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी का जादू, जो पिछले साल मई-जून के लोकसभा चुनावों के बाद उस समय मंदा पड़ता हुआ दिखा था, जब पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी, अब फिर से पार्टी के लिए चमत्कारी साबित हो रहा है।

यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि भाजपा पूरी तरह से "मोदी की गारंटी" पर निर्भर है। दिल्ली चुनावों में पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम भी नहीं दिया और केवल प्रधानमंत्री को अपने चेहरे के रुप में पेश किया। इसने चुनावी मुकाबले को वास्तव में पीएम मोदी और केजरीवाल के बीच सीधा मुकाबला बना दिया। इस तरह, यह मुकाबला स्पष्ट रुप से भाजपा के पक्ष में एकतरफा साबित हुआ।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में कई रैलियां कीं, आप को "आप-दा" (विपत्ति) कहकर और 10 वर्षों के "गलत शासन" के लिए पार्टी की तीखी आलोचना करके। भाजपा के शीर्ष नेता, जिनमें अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह थे, ने भ्रष्टाचार मुद्दे पर आप के खिलाफ जोरदार हमला किया, क्योंकि केजरीवाल ने अपनी पार्टी की शुरुआत साफ-सुथरी और ईमानदार सरकार देने के वादे के साथ की थी।

चुनाव के परिणाम से स्पष्ट रुप से यह संकेत मिलता है कि दिल्ली के कुछ झुग्गी -झोपड़ी क्षेत्रों में भी आप के खिलाफ एक मजबूत लहर थी, क्योंकि पार्टी अपने वादों को पूरा करने में विफल रही, जैसे साफ पानी, हवा प्रदूषण को नियंत्रित करना और यमुना की सफाई आदि। इसके अलावा, शराब नीति घोटाला और केजरीवाल का "शीश महल", जिस पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाने का आरोप था, ने आप के पतन की शुरुआत की। पार्टी ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है।

केजरीवाल ने चुनाव अभियान के बीच में ही स्पष्ट रुप से महसूस कर लिया था कि लहर उनके खिलाफ मुड़ रही है, इसलिए उन्होंने अपने कोर वोटर को लुभाने के लिए कई लोकलुभावन घोषणाएं कीं, जिससे भाजपा को भी "रेवड़ियों" की घोषणाएं करनी पड़ीं। लेकिन केजरीवाल द्वारा घोषित और अधिक रेवड़ियों ने उन्हें दिल्ली के मजबूत मध्यवर्ग से और दूर कर दिया, जिसने पिछले दो विधानसभा चुनावों में आप का जोरदार समर्थन किया था, जबकि, लोकसभा चुनावों में भगवा पार्टी को अपना समर्थन दिया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट में घोषित आयकर राहत ने भाजपा को मध्यमवर्ग के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में बहुत मदद की।

आप के शीर्ष नेता, जिनमें राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और सत्येन्द्र जैन शामिल हैं, चुनाव हार गए हैं। केजरीवाल हाई प्रोफाइल न्यू दिल्ली सीट पर भाजपा के परवेश साहिब सिंह वर्मा से 4,089 वोटों के अंतर से हार गए। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा में भाजपा के तरविंदर सिंह मारवाह से 675 वोटों से हार स्वीकार की।

भजनलाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

1024 वोटों से विजयी हुए है। मुंडका से गजेन्द्र ड्राल भी 10 हजार से अधिक मतों से जीते।

कांग्रेस ने ग्यारह सीटों पर आप...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गये होते।

पूर्व उपमुख्यमंत्री तथा आप के दूसरे नम्बर के नेता मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से भाजपा के तरविन्दर सिंह मारवाह से 675 वोटों के अन्तर से हार गये हैं। अगर आप प्रत्याशियों और उन्हें मिले वाटों की तालिका देखें, तो पायेंगे कि कांग्रेस के फरहद सूरी को 7,350 वोट मिले हैं। गठबन्धन की स्थिति में, इन वोटों का सिसोदिया को मिलना सम्भावित था तथा उनकी आसान जीत सुनिश्चित हो गई होती।

दक्षिण दिल्ली की ग्रेटर कैलाश सीट आप की सुरक्षित सीट मानी जा रही थी तथा बहुत से लोगों को आशा थी कि तीन बार विधायक तथा मन्त्री रहे सौरभ भारद्वाज आसानी से जीत जायेंगे। लेकिन भाजपा की शिखा रॉय ने भारद्वाज को 3,188 वाटों के अन्तर से हरा दिया। इस सीट पर, कांग्रेस के गर्वित सिंह को 6,711 वोट मिले अगर गठबन्धन होता, तो यह सम्भव था कि भारद्वाज जीत जाते।

यही कहानी मालवीय नगर सीट पर सामने आई है, जहाँ भाजपा के सतीश उपाध्याय ने तीन बार विधायक रहे सोमनाथ भारती को 2,131 वोटों से हरा दिया। इस सीट पर, कांग्रेस के जितेन्द्र कुमार कोचर को 6,770 वोट मिले। जाहिर है कि इनके कारण ही, आप प्रत्याशी का खेल बिगड़ा।

बादली सीट पर, भाजपा के अहीर दीपल चौधरी ने आप के अजेश यादव को 15,163 वोटों से हराया है। इस सीट पर कांग्रेस के देवेन्द्र यादव को 41,071 वोट मिले हैं। अगर गठबंधन हो गया होता, तो आप इस सीट पर बहुत आसानी से जीत गई होती।

तिमारपुर सीट पर, भाजपा के सूर्य प्रकाश खत्री ने आप के सुरिन्दर पाल सिंह को 1,168 वोटों के मामूली अंतर से हराया है। इस सीट पर, कांग्रेस के लोकेन्द्र कल्याण सिंह को 8,361 वोट मिले हैं। इसका लाभ भाजपा को ही मिला है।

नांगलोई जाट सीट पर, भाजपा के मनोज कुमार शौकीन, आप प्रत्याशी रघुविन्दर शौकीन को 26,251 वोटों से हराकर, जीते हैं, जबकि कांग्रेस के रोहित चौधरी को 32,028 वोट मिले हैं। गठबंधन की स्थिति में ये वोट आप प्रत्याशी को ही मिलते।

राजेन्द्र नगर सीट से, वरिष्ठ आप नेता दुर्गेश पाठक, भाजपा की उमंग बजाज से 1,231 वोटों से हार गये। कांग्रेस के विनीत यादव को यहाँ से 4,105 वोट मिले हैं, जिनका नुकसान आप को हुआ है।

दक्षिण दिल्ली की छतरपुर सीट पर, भाजपा के कर्तार सिंह तँवर ने आप के ब्रह्म सिंह तँवर को 6,239 वोटों से हराया है। कांग्रेस के राजेन्द्र सिंह तँवर को यहाँ 6,601 वोट मिले हैं, जो हार के अंतर से ज्यादा हैं। इससे भाजपा को लाभ मिला है।

संगम विहार सीट भाजपा के चन्दन कुमार चौधरी ने राजधानी में सबसे कम अन्तर से जीती है। उन्होंने आप के दिनेश मोहनिया को मात्र 344 वोटों से हराया है, जबकि इस सीट पर कांग्रेस के हर्ष चौधरी को 15,863 वोट मिले हैं तथा उनके कारण, आप का सारा खेल बिगड़ गया है।

पूर्व दिल्ली की त्रिलोकपुरी सीट पर, भाजपा के रविकान्त ने आप प्रत्याशी अंजना पार्चा को मात्र 392 वोटों से हराया है। कांग्रेस के अमरदीप, जिन्हें 6,147 वोट मिले हैं, ने साफ तौर पर आप का खेल बिगाड़ा है।

कांग्रेस ने केवल 6 प्रतिशत वोट पाकर, आम आदमी पार्टी को सत्ता से दूर कर दिया और यह सुनिश्चित कर दिया कि उसकी करारी हार हो।

कौन बनेगा दिल्ली का नया ...

- भाजपा के दिल्ली के प्रमुख वीरेन्द्र सचदेव भी काफी चर्चा में रहे हैं, जब से उन्होंने यमुना में भारी प्रदूषण को उजागर करने के लिये, यमुना में डुबकी लगाई थी और बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए थे।
- अरविंद सिंह लवली, जो चुनाव से पूर्व ही भाजपा में शामिल हुए थे, कांग्रेस छोड़कर, भी पुराने राजनीतिज्ञ हैं दिल्ली के तथा मु.मंत्री बनने की रेस में हैं।
- कैलाश गहलोत भी चुनाव से पूर्व आप छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तथा केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, भी अपने राजनीतिक अनुभव के कारण मु.मंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आया है। चुनाव आयोग ने बताया है कि भाजपा कुल 70 में से 45 सीटों पर आगे चल रही है तथा आप 25 विधानसभा क्षेत्रों में आगे है। इस त्रिकोणीय संघर्ष में, कांग्रेस भी एक प्रमुख खिलाड़ी रही।

और अब हम दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के भाजपा के संभावित दावेदारों के बारे में विचार करते हैं।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रमुख अरविन्द केजरीवाल को 4,000 से अधिक वोटों से हराया है। नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा की उम्मीदवारी तथा संभावित जीत बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि यह विधानसभा क्षेत्र पिछले छः विधानसभा चुनावों से राजधानी को अपना मुख्यमंत्री देती रही है। ज्ञातव्य है कि 1998, 2003 तथा 2008 में इस सीट से शीला दीक्षित तथा 2013, 2015 और 2020 में इस सीट से अरविन्द केजरीवाल की जीत हुई और वे मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुये।

इससे पहले, प्रवेश वर्मा 2014 और 2019 में पश्चिम दिल्ली सीट से लगातार दो बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। वे "जॉइंट कमेटी ऑफ सैलरीज़ एंड अलाउन्सेज़ ऑफ मैम्बर्स ऑफ पार्लियामैंट" तथा स्टैंडिंग कमेटी ऑन अरबन डवलपमैंट के सदस्य भी रह चुके हैं।

दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता रोहिणी विधानसभा सीट से तीसरी बार चुनाव जीते हैं। उन्होंने आप के प्रदीप मित्तल को लगभग 37,000 वोटों के अंतर से हराया है। भाजपा के पुराने नेता विजेन्द्र गुप्ता तभी से पार्टी से जुड़े हुये हैं, जब वे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। पार्टी कार्यकर्ता के स्तर से उठकर यहाँ तक पहुँचे विजेन्द्र गुप्ता ने चुनावी सफलता का पहला स्वाद उस समय चखा था, जब वे राहिणी से म्यूनिसिपल चुनाव जीते थे। उन्होंने 2013 में नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वे शीला दीक्षित से पिछड़कर तीसरे स्थान पर रहे थे। विजेन्द्र गुप्ता इसके कुछ समय बाद, 2015 में हुये विधानसभा चुनावों में रोहिणी सीट से विधायक चुने गये। उन्होंने 2020 में भी इसी सीट पर जीत हासिल की।

2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में अन्य दलों से भाजपा में आये लोगों को भी विजयश्री मिली है। ऐसे ही एक नेता, कैलाश गहलोत, जिन्हें दिल्लीवासी, दिल्ली मंत्रिमंडल के पूर्व मंत्री के रूप में जानते हैं, क्योंकि नवम्बर, 2024 में आम आदमी पार्टी छोड़ने से पहले, वे आप सरकार में मंत्री थे। जब आम आदमी पार्टी छोड़ने के तुरंत बाद, वे भाजपा में शामिल हुये, तो पार्टी नेता मनोहर लाल ने उन्हें प्रतिष्ठित जाट-चेहरा बताया था तथा कहा था कि उनकी मौजूदगी से "पार्टी को निश्चित रूप से लाभ होगा।" गहलोत ने बिजवासन सीट से आप के सुरेन्द्र भारद्वाज को 8,000 से अधिक वोटों से हराया है। वे सबसे पहले, 2015 में नज़फगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गये थे तथा इसके बाद हुये 2020 के चुनावों में भी उन्होंने इस सीट को बरकरार रखा था। केजरीवाल के मुख्यमंत्रित्व काल में, गहलोत के पास परिवहन एवं पर्यावरण मंत्रालय थे।

दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली, जो 2024 में भाजपा में शामिल हो गये थे, गांधी नगर सीट से आप प्रत्याशी नवीन चौधरी को 12,748 वोटों से हराकर चुनाव जीत गये हैं। लवली, दिल्ली की राजनीति का एक प्रतिष्ठित चेहरा रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनैतिक यात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र-नेता के रूप में शुरु की थीं वे 1998 में गांधी नगर सीट से विधानसभा चुनाव जीते थे तथा 2013 तक, वह विधानसभा क्षेत्र इनका गढ़ बना रहा। शीला दीक्षित के मुख्यमंत्रित्व काल में, लवली विभिन्न कैबिनेट पदों पर रहे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों से पहले कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने कांग्रेस पर आप के साथ गठबंधन तथा "बाहरी व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाने के आरोप लगाये थे।

उत्तर-पूर्व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिये संभावित चयन हो सकते हैं। हालाँकि, उन्होंने विधानसभा चनुाव नहीं लड़ा है, लेकिन तिवारी की प्रोफाइल भविष्य में भाजपा के लिये लाभदायक हो सकती है। पूर्वांचल के जनाधार के बीच उनकी लोकप्रियता तथा अच्छे-खासे प्रभाव के चलते, वे चुनावों के एक प्रमुख स्टार-प्रचारक थे। तिवारी इसलिये भी भाजपा के लिये मददगार साबित हो सकते हैं क्योंकि भाजपा की नज़रें इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों पर लगी है।

एक अन्य संभावित दावेदार, भाजपा प्रमुख वीरेन्द्र सचदेव हैं, जिनके हाल ही में, अस्पताल में भर्ती होने के समाचार आये थे। दरअसल, उन्होंने जबरदस्त प्रदूषित यमुना नदी को छठ-पूजा से पहले साफ कराने में दिल्ली सरकार की कथित असफलता को उजागर करने के लिये, यमुना में स्नान किया था। वीरेन्द्र सचदेव भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख बनने वाले पंजाबी समुदाय के दूसरे नेता हैं। इनसे 2010 में ओ.पी. कोहली दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं।

अदालत के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को बताया कि, याचिकाकर्ता दंत चिकित्सा की वरिष्ठ प्रोफेसर पद पर कार्यरत है। विभाग ने 13 सितंबर, 2024 को एक आदेश जारी कर साठ साल होने का हवाला देते हुए उसकी सेवानिवृत्ति आयु 31 जनवरी, 2025 तय कर दी। इस आदेश को पूर्व में अदालत में याचिका दायर कर चुनौती देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार की 30 मार्च, 2018 की अधिसूचना के तहत वह 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने की अधिकारी है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 20 नवंबर को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को पद पर बनाए रखने के आदेश दिए थे। याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद उसे सेवा में नहीं रखा गया। याचिकाकर्ता ने फरवरी माह में कार्यभार संभालने के लिए उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर किए तो उसे लाल स्याही से काट दिया गया। ऐसे में अदालती आदेश की अवमानना करने वाले अफसरों को दंडित किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908